


आदेश	कार्यवाही विवरण राजू बनाम महावीर	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
6.4.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में दिनां 18.08.2020 को राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादीगण की पहचाना वकील श्री आन्नदीलाल सैनी ने की तथा प्रतिवादीगण नम्बर 01 की पहचान श्री प्रदीप कुमार झाड़ाड़िया वकील ने की। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान ने भूमि खसरा नम्बर 819 रकबा 1.39 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 820 रकबा 1.39 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1646 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.82 हैक्टर जो वादी के नाम है जिसमें गुवाडी बनी हुई है प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 805 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.80 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 हैक्टर है जिसमें विधुत कनेक्शन अपने नाम करवा सकेगा।</p> <p>उपरोक्त भूमिया वादी व प्रतिवादी की अलग अलग है आपस में मनमुटाव होने से विवाद हो गया था। अब आपस में हम राजीरजा है तथा कोई विवाद नहीं यदि वादी का दावा डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है। चूंकि मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी नम्बर 01 ने वादी का वाद डिक्री करने तथा प्रतिवादी नम्बर का काउण्टर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। राजीनामा प्रार्थना पत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  ए. सी. सिंह (फास्ट-ट्रेक) सहायक कलेक्टर एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ </p>	

